राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्

द्वितीय से पंचम तल, ब्लॉक–5, शिक्षा संकुल परिसर,
जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर – 17

फोन नं: 0141–2709114 email : cmsmsa2018@gmail.com फैक्स: 0141–2701822

क्रमांक : रास्कूशिप / जय / सामु.गति / दिशा–निर्देश / 2019–20 / 7676 दिनांक 19/11/19

बालसभा दिशा–निर्देश
सत्र 2019–20

प्रस्तावना–

विगत वर्षो की भांति विद्यालय में नामांकन अभिवृद्धि तथा ठहराव, शिक्षा में गुणात्मक सुधार, बालक–बालिकाओं का सर्वागीण विकास, शैक्षिक गतिविधियों में जनसमुदाय की सहभागिता में वृद्धि तथा विद्यालय संचालन में सहयोग, शिक्षकों का बालक–बालिका तथा जनसमुदाय के प्रति उत्तरदायित्व का अहसास आदि उद्‌देश्य प्राप्त किये जाने के लिए समस्त राजकीय विद्यालयों में बालसभाओं का आयोजन किया जाना है।

उद्‌देश्यः–

1. विद्यालय में नामांकन अभिवृद्धि एवं ठहराव।
2. शिक्षा में गुणात्मक सुधार।
3. विद्यार्थियों की शैक्षणिक एवं सहशैक्षणिक क्षमता वर्द्धन।
4. दबाव मुक्त शैक्षणिक वातावरण निर्माण।
5. विद्यालय गतिविधियों में जनसमुदाय की अधिकतम सहभागिता।
6. संस्थाप्रधान एवं शिक्षकों में बालक–बालिका तथा अभिभावकों के प्रति उत्तरदायित्व का अहसास।
7. शैक्षणिक वातावरण निर्माण में सामुदायिक रूचि एवं सहयोग भावना का निर्माण।
8. सामाजिक सौहार्द एवं समन्वय में वृद्धि।
9. विद्यार्थियों के प्रदर्शन में अभिभावकों की रूचि एवं सहयोग प्राप्त करना।

वित्तीय प्रावधान

सार्वजनिक स्थानों पर बालसभाओं का आयोजन एक मात्र राजस्थान राज्य का ऐसा नवाचार है जिसे राष्ट्रीय स्तर पर पहचान प्रदान की गई है और इसकी महत्ता को स्वीकार करते हुए मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा वार्षिक कार्ययोजना एवं बजट में प्राथमिक / उच्च प्राथमिक विद्यालयों हेतु 10 बालसभाओं के लिए 3000 रू प्रति विद्यालय तथा माध्यमिक विद्यालयों के लिए चार बालसभाओं हेतु 1200 रू प्रति विद्यालय का वित्तीय प्रावधान किया गया है, जो निम्नानुसार है–

Scanned by CamScanner

क्र. सं.	विद्यालय का प्रकार	विद्यालयों की संख्या	यूनिट कोस्ट	स्वीकृत कुल राशि (लाख में)
1	प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालय	52539	3000 (300 रू प्रति विद्यालय 10 बालसभा हेतु)	1576.170
2	माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालय	14027	1200 (300 रू प्रति विद्यालय 4 बालसभा हेतु)	168.324
	कुल	66566		1744.494

बालसभा आयोजन को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए प्रति विद्यालय स्वीकृत राशि का उपयोग विद्यालय की आवश्यकता के अनुसार कोई उपकरण अथवा अन्य सामग्री क्रय करने अथवा सत्र की अन्तिम बालसभा को विशाल बालसभा के रूप में आयोजित करने में व्यय किया जाए ताकि प्रावधित राशि का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित हो सके। मानव संसाधन विकास मंत्रालय के निर्देश एवं राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012–13 के प्रावधानों की पालना सुनिश्चित की जावें। उपयोग की गई राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम के अनुसार प्रेषित करावें

आयोजन की क्रियाविधि–

- वर्ष 2019–20 में माह जुलाई से माह अप्रैल तक अर्थात कुल 10 माह में प्रतिमाह कुल तीन बालसभाऐं की जानी है जिनमें से एक बालसभा अमावस्या के दिन जब अधिकांश ग्रामीण जनसमुदाय अपने निवास पर ही उपलब्ध रहते है, आयोजित की जानी है। यह बालसभा विद्यालय परिसर में न करके ग्रामीण आबादी के बीच चौपाल आदि सार्वजनिक स्थानों पर आयोजित की जानी है। अमावस्या के दिन बालसभा आयोजन का मुख्य उद्देश्य बालसभा में स्थानीय जनसमुदाय की अधिकतम भागीदारी सुनिश्चित करना है ताकि विद्यालय की समस्त गतिविधियों की जानकारी स्थानीय जनसमुदाय को रहे तथा विद्यालय की विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति एवं समस्याओं के समाधान में जनसमुदाय का सहयोग प्राप्त हो। माह में अमावस्या के पूर्व के शनिवार एवं अमावस्या के बाद के शनिवार को बालसभा का आयोजन नही किया जाना है। शेष दो बालसभायें शनिवार को विद्यालय में ही आयोजित की जानी है। बालसभा आयोजन की माहवार तिथियॉ शिविरा पंचांग में अंकित की जा चुकी है।
- बालसभा के आयोजन से पूर्व पंचायत के सरपंच/वार्डपंच/प्रबुद्ध नागरिको से चर्चा कर बालसभा हेतु सार्वजनिक स्थान का चयन किया जायेगा।
- अमावस्या को आयोज्य बालसभा हेतु प्रत्येक बार भिन्न स्थान का चयन किया जायेगा।
- विद्यालय में माह के जिस शनिवार को बालसभा का आयोजन किया जाना है, प्रत्येक कालांश से 10 मिनट की कटौती की जाकर अन्तिम दो कालांशो अर्थात 80 मिनट में किया जायेगा। बालसभा का आयोजन 60 मिनट का होगा एवं 20 मिनट आयोजन हेतु विद्यार्थियों की उपस्थिति एवं बैठक व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी।

Scanned by CamScanner

- अमावस्या को आयोज्य बालसभा का आयोजन विद्यालय के सम्बन्धित गॉव/ढाणी के सुरक्षित एवं सार्वजनिक स्थान पर किया जायेगा। सार्वजनिक स्थल पर छात्र–छात्राओं को सुरक्षित पहुँचाने एवं पुनः विद्यालय लाने की समस्त जिम्मेदारी संस्थाप्रधान एवं शिक्षकों की होगी।
- शिक्षा विभाग के जिलास्तरीय एवं ब्लॉकस्तरीय अधिकारियों द्वारा जिला कलेक्टर्स के नेतृत्व तथा मार्गदर्शन में विभिन्न विभागों से समन्वय स्थापित कर बालसभा आयोजन में उनका सहयोग प्राप्त करने के प्रयास किए जाये।
- बालसभा में बच्चे विभिन्न प्रतियोगिता में भाग लेगें–
  1. **अभिव्यक्ति कौशलः–** वाद–विवाद, संस्कृत श्लोक वाचन, गीत, कविता, लोकगीत, कहानी, घटना, कविता, श्रुतिलेख, सुलेख, अविस्मरणीय घटना सुनाना,नाटक, एकाभिनय, मूकाभिनय, अन्त्याक्षरी, महापुरूषों, वैज्ञानिकों, दार्शनिकों, गणितज्ञों, साहित्यकारों के जीवन के प्रेरक प्रसंगों का वाचन आदि कार्यक्रम शमिल किये जा सकते है।
  2. **सृजनात्मक कौशलः–** कबाड़ से जुगाड़, रंगोली, चित्रों में रंग भरना, विद्यार्थियों द्वारा निर्मित मुखौटे/खिलौने का प्रदर्शन, मॉडल एवं चार्ट निर्माण, भित्ति पत्रिका निर्माण आदि कार्यक्रम शमिल किये जा सकते है।
  3. **चिंतन, तार्किक कौशलः–** पहेलियॉ हल करना, विज्ञान एवं गणित के जादू प्रदर्शन, क्विज एवं सामान्य ज्ञान, प्रश्नोत्तरी, सद साहित्य, महाकाव्यों पर प्रश्नोत्तरी आदि कार्यक्रम शमिल किये जा सकते है।
  4. **सामुदायिक कौशल–** पुलिस/डॉक्टर/नर्स/वकील/इंजीनियर/बैंक कर्मी आदि की बारी–बारी से वार्ता कराना, दैनिक कामगार जैसे लकडी का काम करने वाला/मिट्टी के बर्तन बनाने वाला कारीगर/किसान/सोने के आभूषण बनाने वाला/पेंटर/दुकानदार आदिक से उनके काम के बारे में जानना, संस्कार सभा के अन्तर्गत दादी/नानी के द्वारा परम्परागत प्रेरक कहानियों का वाचन, राष्ट्रीय महत्व के समसामयिक समाचारों एवं घटनाओं की समीक्षा तथा प्रबुद्धजनों का उद्बोधन आदि कार्यक्रम शमिल किये जा सकते है।
  5. **सामाजिक, संवेदनशीलता कौशलः–**आईसीटी लैब/प्रोजेक्टर पर फिल्म प्रदर्शन, बाल संरक्षण से संबधित पीपीटी, Motivational Video, चाइल्ड राइट क्लब गतिविधियॉ, वन एवं पर्यावरण क्लब, रोड सेफ्टी क्लब, मीना, राजू मंच की गतिविधियॉ, पेड–पौधे लगाना एवं सुरक्षा आदि कार्यक्रम शमिल किये जा सकते है।
  6. **शारीरिक कौशलः–** विभिन्न प्रकार की दौड़ यथा–कुर्सी दौड़, चम्मच दौड़, तीन टांग दौड़ बोरी दौड़, रूमाल झपट्टा, सतेलिया आदि कार्यक्रम शमिल किये जा सकते है।

उपर्युक्त गतिविधियों के अतिरिक्त विभिन्न स्थानीय प्रबुद्धजनों, जनप्रतिनिधियों, अभिभावकों द्वारा उद्बोधन आदि अन्य गतिविधियां भी आयोजित की जा सकती है।

Scanned by CamScanner

विशेष ध्यान देने योग्य बिन्दुः–

- बालसभा हेतु निर्धारित यूनिट कॉस्ट से अधिक किसी भी स्थिति में खर्च ना करें।
- दान दाताओं एवं भामाशाहो का सहयोग लेकर समारोह को और अधिक प्रभावी बनाया जा सकता है।
- बालसभा आयोजन के अगले दिवस तक अनिवार्य रूप से शालादर्पण पोर्टल पर फीडिंग करें।
- बालसभा अवलोकन प्रपत्र परिशिष्ट 3 पर संलग्न है।

दायित्व –

- **संस्थाप्रधान के दायित्व–**

  बालसभा आयोजन की तिथि से 7 दिन पूर्व बालसभा आयोजन की कार्ययोजना तैयार कर बालसभा में अधिकतम जनसमुदाय की सहभागिता सुनिश्चित करने हेतु शिक्षकों के दायित्व निर्धारित करना, अभिभावकों को आमंत्रित करना, विभिन्न योजनाओं एवं गतिविधियों के साथ–साथ आयोजन स्थल एवं तिथि का प्रचार–प्रसार करना, बालसभा की कार्ययोजना पीईईओ को अग्रेषित करना आदि। बालसभा आयोजन से अगले दिवस तक अनिवार्य रूप शालादर्पण पोर्टल पर सूचना फीड़ करना।

- **पीईईओ के दायित्व–**

  अपने क्षेत्राधिकार के समस्त संस्थाप्रधानों से बालसभा आयोजन की कार्ययोजना प्राप्त कर, संकलित कर मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी को अग्रेषित करना, पंचायत स्तरीय विभिन्न विभागीय अधिकारियों/कर्मचारियों से समन्वय स्थापित कर समस्त विद्यालयों में बालसभाओं का प्रभावी आयोजन कराना, विभिन्न योजनाओं एवं गतिविधियों के साथ–साथ आयोजन स्थल एवं तिथि का प्रचार–प्रसार करना, बालसभा की कार्ययोजना सीबीईओ को अग्रेषित करना आदि। शालादर्पण पोर्टल पर समस्त विद्यालयों द्वारा फीडिंग का पर्यवेक्षण करना।

- **सीबीईओ के दायित्व–**

  अपने क्षेत्राधिकार के समस्त पीईईओ से बालसभा आयोजन की कार्ययोजना प्राप्त कर, संकलित कर मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं पदेन जिला परियोजना समन्वयक को अग्रेषित करना, ब्लॉकस्तरीय विभिन्न विभागीय अधिकारियों से समन्वय स्थापित कर समस्त विद्यालयों में बालसभा का प्रभावी आयोजन कराना, विभिन्न योजनाओं एवं गतिविधियों के साथ–साथ आयोजन स्थल एवं तिथि का प्रचार–प्रसार करना, बालसभा की कार्ययोजना सीडीईओ को अग्रेषित करना आदि। शालादर्पण पोर्टल पर समस्त विद्यालयों द्वारा फीडिंग का पर्यवेक्षण करना।

- **सीडीईओ के दायित्व–**

  अपने क्षेत्राधिकार के समस्त सीबीईओ से बालसभा आयोजन की कार्ययोजना प्राप्त कर, संकलित कर परिषद् कार्यालय के सामुदायिक गतिशीलता अनुभाग को

Scanned by CamScanner

अग्रेषित करना, जिला कलेक्टर्स के नेतृत्व एवं मार्गदर्शन में विभिन्न जिलास्तरीय विभागीय अधिकारियों से समन्वय स्थापित कर समस्त विद्यालयों में बालसभा का प्रभावी आयोजन कराना, विभिन्न योजनाओं एवं गतिविधियों के साथ–साथ आयोजन स्थल एवं तिथि का प्रचार–प्रसार करना, बालसभा की कार्ययोजना परिषद् कार्यालय को अग्रेषित करना आदि। शालादर्पण पोर्टल पर समस्त विद्यालयों द्वारा फीडिंग का पर्यवेक्षण करना।

संलग्न –उपरोक्तानुसार

(प्रदीप कुमार बोरड)
आयुक्त
स्कूल शिक्षा एवं राज. स्कूल शिक्षा परिषद्
जयपुर

क्रमांक : रास्कूशिप/जय/सामु.गति/दिशा–निर्देश/2019–20/7676 दिनांक : 19/11/19

प्रतिलिपि :–निम्न को सूचनार्थ प्रस्तुत है :–

1. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षामंत्री महोदय, राजस्थान सरकार।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
3. निजी सचिव, आयुक्त, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्, जयपुर।
4. निजी सचिव, राज्य परियोजना निदेशक, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्, जयपुर।
5. निजी सचिव, निदेशक, प्रारम्भिक एवं माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर।
6. निजी सहायक, अति. राज्य परियोजना निदेशक, (I & II) राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्, जयपुर।
7. निजी सहायक, वित्त नियत्रंक, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्, जयपुर।
8. उपायुक्त (प्लान), राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्, जयपुर।
9. समस्त मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं पदेन जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा अभियान।
10. समस्त अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा अभियान।
11. रक्षित पत्रावली।

(नसीम खान)
अति. राज्य परियोजना निदेशक

Scanned by CamScanner

Balsabha

Physical and Financial Target of Districts 2019-20

Sr. No.	District Name	Total No. of Govt. PS, UPS Schools	Per School @ 3000	
			Target	
			Phy.	Fin.(In lakh)
1	AJMER	1350	1350	40.500
2	ALWAR	2083	2083	62.490
3	BANSWARA	2510	2510	75.300
4	BARAN	1275	1275	38.250
5	BARMER	4135	4135	124.050
6	BHARATPUR	1197	1197	35.910
7	BHILWARA	2323	2323	69.690
8	BIKANER	1604	1604	48.120
9	BUNDI	979	979	29.370
10	CHITTAURGARH	1413	1413	42.390
11	CHURU	915	915	27.450
12	DAUSA	1173	1173	35.190
13	DHAULPUR	873	873	26.190
14	DUNGARPUR	2102	2102	63.060
15	GANGANAGAR	1474	1474	44.220
16	HANUMANGARH	737	737	22.110
17	JAIPUR	2734	2734	82.020
18	JAISALMER	1014	1014	30.420
19	JALOR	1533	1533	45.990
20	JHALAWAR	1372	1372	41.160
21	JHUNJHUNU	1039	1039	31.170
22	JODHPUR	2873	2873	86.190
23	KARAULI	1078	1078	32.340
24	KOTA	783	783	23.490
25	NAGAUR	2301	2301	69.030
26	PALI	1347	1347	40.410
27	PRATAPGARH	1394	1394	41.820
28	RAJSAMAND	1400	1400	42.000
29	S. MADHOPUR	769	769	23.070
30	SIKAR	1347	1347	40.410
31	SIROHI	759	759	22.770
32	TONK	1123	1123	33.690
33	UDAIPUR	3530	3530	105.900
	Total	**52539**	**52539**	**1576.170**

Scanned by CamScanner

Balsabha

Physical and Financial Target of Districts 2019-20

Sr. No.	District Name	Total No. of Govt. Composite Sec./Sr. Sec. Schools*	Per School @ 1200 Target	
			Phy.	Fin.(In lakh)
1	AJMER	494	494	5.928
2	ALWAR	735	735	8.820
3	BANSWARA	418	418	5.016
4	BARAN	291	291	3.492
5	BARMER	591	591	7.092
6	BHARATPUR	521	521	6.252
7	BHILWARA	544	544	6.528
8	BIKANER	383	383	4.596
9	BUNDI	262	262	3.144
10	CHITTAURGARH	396	396	4.752
11	CHURU	483	483	5.796
12	DAUSA	359	359	4.308
13	DHAULPUR	249	249	2.988
14	DUNGARPUR	360	360	4.320
15	GANGANAGAR	450	450	5.400
16	HANUMANGARH	336	336	4.032
17	JAIPUR	907	907	10.884
18	JAISALMER	176	176	2.112
19	JALOR	351	351	4.212
20	JHALAWAR	319	319	3.828
21	JHUNJHUNU	496	496	5.952
22	JODHPUR	590	590	7.080
23	KARAULI	308	308	3.696
24	KOTA	301	301	3.612
25	NAGAUR	686	686	8.232
26	PALI	468	468	5.616
27	PRATAPGARH	185	185	2.220
28	RAJSAMAND	289	289	3.468
29	S. MADHOPUR	292	292	3.504
30	SIKAR	582	582	6.984
31	SIROHI	215	215	2.580
32	TONK	320	320	3.840
33	UDAIPUR	670	670	8.040
	Total	**14027**	**14027**	**168.324**

Scanned by CamScanner